

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-09

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने के लिए
विदेशी सहायता

+*9. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने के लिए विश्व बैंक और किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने के लिए विदेशी सहायता के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 09 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : विश्व बैंक और अन्य देशों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. विश्व बैंक:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छः राज्यों-असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना" से संबंधित एक योजना भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय के बजट के माध्यम से) और विश्व बैंक से 50:50 के वित्त पोषण से प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना की अनुमानित लागत 4,923.32 करोड़ रुपए (अक्टूबर, 2013 का मूल्य स्तर) है। यह परियोजना पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को पहली किश्त जारी करने की तारीख से 48 माह में पूरी किए जाने का कार्यक्रम है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की सोलर फोटो वोल्टेक विद्युत परियोजना से जुड़ी अल्ट्रा मेगा ग्रिड को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इसे एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। परियोजना का आकार फोटो वोल्टेक सोलर प्रौद्योगिकी के आधार पर 750 मेगावाट होने की उम्मीद है।

2. जर्मनी:

हरित ऊर्जा कॉरीडोर परियोजना को केएफडब्ल्यू, फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किए जाने की परिकल्पना है। केएफडब्ल्यू, फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी द्वारा एक बिलियन यूरो तक की धनराशि दी जाएगी। केएफडब्ल्यू, फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी द्वारा वित्तपोषित की जा रही इस परियोजना को अक्टूबर, 2017 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

3. जापान:

जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) रोलिंग प्लान में शामिल विद्युत क्षेत्र में नौ प्रस्तावों जिनके लिए जापान सरकार से ऑफिशियल डेवलेपमेंट असिस्टेंस (ओडीए) अपेक्षित है, की सूची अनुबंध में दी गई है।

विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने के लिए विदेशी सहायता के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 09 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान में, डीईए के रोलिंग प्लान की जेआईसीए सूची में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	अनुमानित परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)
1	ओडिशा पावर सेक्टर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	ओडिशा/राज्य क्षेत्र	1600.00
2.	1x660 मेगावाट दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्रोजेक्ट/हरियाणा	हरियाणा/राज्य क्षेत्र	2707.82
3.	तवांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर-I और II (उपस्कर हिस्सा)/नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन	केंद्रीय क्षेत्र	1600
4.	बरौनी/बिहार में 1x250 मेगावाट के साथ 2x50 मेगावाट का पूर्ण प्रतिस्थापन	बिहार/राज्य क्षेत्र	1965.65
5.	बाकरेश्वर-6 थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1*500 मेगावाट सब क्रिटिकल)/पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल/राज्य क्षेत्र	2021.98
6.	वेस्ट बंगाल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल/राज्य क्षेत्र	546
7.	400/220 केवी फेडरा और संखारी सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन/गुजरात इनर्जी ट्रांसमिशन कारपोरेशन	गुजरात/राज्य क्षेत्र	470.87
8.	पश्चिमी गुजरात विज. कं. लिमिटेड, गुजरात के शहरी क्षेत्रों में हाई वोल्टेज डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस)	गुजरात/राज्य क्षेत्र	1968.80
9.	उमियम स्टेज-III पावर स्टेशन का नवीकरण और आधुनिकीकरण	मेघालय/राज्य क्षेत्र	344.31

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-15

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत संकट

*15. श्री विजय गोयल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहित देश में अनेक शहर पिछले कुछ दिनों से बिजली के गंभीर संकट से ग्रस्त हो रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार विशेष रूप से दिल्ली में बिजली संकट का समाधान करने तथा वहां चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या विशेष उपाय कर रही है; और
- (घ) बिजली क्षेत्र को उसकी बदहाल स्थिति से उबारने हेतु सरकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

देश में विद्युत संकट के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, राज्य में विभिन्न शहरों/अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऊर्जा और व्यस्ततम विद्युत, दोनों की दृष्टि से, दिल्ली सहित देश में विद्युत की समग्र कमी है। यह कमी विद्युत की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करते हुए माह-दर-माह, दिन-प्रति-दिन और घण्टे दर घण्टे के आधार पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार नवीनतम विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध में है।

(ग) : दिल्ली और आसपास के राज्यों में 30 मई, 2014 को प्रचण्ड धूल भरे तूफान/भारी तूफान के कारण विद्युत नेटवर्क के अवरोध के बाद लाइनों को पुनः चालू करने का कार्य पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायता से युद्ध स्तर पर किया गया था और अस्पतालों, दिल्ली मेट्रो, जल शोधन संयंत्रों जैसी अनिवार्य सेवाओं और एनडीएमसी क्षेत्रों के लिए बिजली पुनः चालू करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। टावर टूटने के कारण जो 220 केवी लाइनें आउटेज में चली गईं, उन्हें इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम (ईआरएस) के माध्यम से तत्काल पुनः चालू किया गया था। साथ ही क्षतिग्रस्त टावरों को पुनः स्थायी रूप से लगाने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य किया गया था और प्रभावित लाइनों को दिनांक 23 जून, 2014 तक प्रगामी रूप से सामान्य स्थिति में ला दिया गया था जिन्हें अन्यथा सामान्य करने में कई सप्ताह लगते।

(घ) : देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (30 जून, 2014 तक) में 43,708 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है।
- (ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास।
- (iii) जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना।
- (v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है।
- (vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।
- (viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण।
- (ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- (x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना।

देश में विद्युत संकट के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार विद्युत आपूर्ति स्थिति

क्षेत्र/राज्य	व्यस्ततम मांग	दिन के दौरान पूरी की गई अधिकतम मांग	अधिशेष/कमी (-)		ऊर्जा मांग	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
चंडीगढ़	314	314	0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0
दिल्ली	5,273	5,273	0	0.0	110.7	110.1	-0.6	-0.5
हरियाणा	8,017	8,017	0	0.0	166.4	166.4	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,148	1,148	0	0.0	24.5	24.3	-0.2	-0.7
जम्मू और कश्मीर	1,520	1,420	-100	-6.6	27.9	26.2	-1.7	-6.1
पंजाब	9,636	9,636	0	0.0	213.0	213.0	0.0	0.0
राजस्थान	8,967	8,967	0	0.0	195.1	195.1	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	13,298	11,918	-1,380	-10.4	306.0	259.0	-47.1	-15.4
उत्तराखंड	1,702	1,662	-40	-2.4	36.9	36.8	-0.2	-0.4
उत्तरी क्षेत्र	49,875	48,355	-1,520	-3.0	1,086.6	1,037.0	-49.6	-4.57
छत्तीसगढ़	3,236	2,979	-257	-8	68.5	67.6	-0.8	-1.2
गुजरात	12,908	12,844	-64	0	291.0	290.6	-0.4	-0.1
मध्य प्रदेश	6,910	6,903	-7	0	147.8	147.8	0.0	0.0
महाराष्ट्र	19,616	19,537	-79	0	431.7	429.9	-1.9	-0.4
दमन एवं दीव	271	271	0	0	6.2	6.2	0.0	0.0
दादर नागर हवेली	661	660	-1	0	13.8	13.8	0.0	-0.1
गोवा	390	390	0	0	8.6	8.6	0.0	0.0
ईएसआईएल	381	380	0	0	6.6	6.6	0.0	-0.1
पश्चिमी क्षेत्र	44,373	43,964	-409	-0.9	974.2	971.1	-3.1	-0.32
आंध्र प्रदेश	6,247	5,647	-600	-10	147.0	128.3	-18.7	-12.7
तेलंगाना	5,806	5,406	-400	-7	134.9	118.9	-16.0	-11.8
कर्नाटक	8,441	8,041	-400	-5	184.2	175.2	-9.0	-4.9
केरल	3,307	3,157	-150	-5	60.9	60.1	-0.8	-1.3
तमिलनाडु	12,368	12,368	0	0	268.7	267.8	-0.9	-0.3
पुडुचेरी	287	287	0	0	5.3	5.3	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	36,456	34,906	-1,550	-4.3	800.9	755.5	-45.3	-5.66
बिहार	2,517	2,367	-150	-6	44.4	43.8	-0.6	-1.4
डीवीसी	2,445	2,445	0	0	57.0	57.0	0.0	0.0
झारखंड	894	894	0	0	17.7	17.7	0.0	0.0
ओडिशा	3,504	3,504	0	0	71.1	71.1	0.0	0.0
प. बंगाल	6,637	6,637	0	0	123.0	123.0	0.0	0.0
सिक्किम	81	81	0	0	1.16	1.16	0.00	0.0
अंडमान-निकोबार	0	0	0		0.0	0.0	0.0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	16,078	15,928	-150	-0.9	314.3	313.7	-0.6	-0.19
अरुणाचल प्रदेश	113	99	-14	-12.4	1.6	1.5	-0.1	-5.25
असम	1,395	1,185	-210	-15.1	26.0	24.2	-1.8	-6.9
मणिपुर	122	112	-10	-8.2	1.6	1.6	-0.1	-4.5
मेघालय	267	255	-12	-4.5	4.5	4.4	-0.1	-2.4
मिजोरम	83	73	-10	-12.0	1.1	1.0	-0.1	-6.5
नागालैंड	87	76	-11	-12.6	1.6	1.6	-0.1	-3.8
त्रिपुरा	235	222	-13	-5.5	3.1	3.1	-0.1	-2.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2,302	2,022	-280	-12.2	39.7	37.4	-2.3	-5.73
अखिल भारतीय	149,084	145,175	-3,909	-2.6	3,215.6	3,114.7	-100.9	-3.14

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम हैं, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय व्यस्ततम मांग/व्यस्ततम पूरी की गई मांग का भाग नहीं होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-54

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

झारखंड में विद्युत संकट

54. श्री परिमल नथवानी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को झारखंड में दीर्घकालिक विद्युत संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इसके समाधान हेतु हस्तक्षेप किए जाने संबंधी अपना प्रयास कर रहा है;

(ग) क्या मंत्रालय को राज्य सरकार और राज्य से बाहर की विद्युत आपूर्तिकर्ता एजेंसी अर्थात् डी.वी.सी. के बीच भुगतान की रीति और भुगतान की बकाया धनराशियों संबंधी विवादों की जानकारी है; और

(घ) क्या ऐसे विवादों और संकट से निपटने के लिए कोई भावी रूपरेखा या व्यवस्था है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : झारखंड राज्य द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार चालू वर्ष (अप्रैल से मई, 2014) के दौरान, झारखंड में, व्यस्ततमकालीन कमी और ऊर्जा कमी क्रमशः 2.2% तथा 0.9% थी जबकि राष्ट्रीय औसत 4.9% एवं 4.1% है ।

(ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा राज्य में विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है । राज्यों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वे राज्य में उपभोक्ताओं/क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत आपूर्ति करने के प्रबंध करें । विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत का प्रापण करना भी संबंधित राज्य का उत्तरदायित्व है । भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है ।

.....जारी/-

झारखंड में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों को नीचे दिया गया है:

1. 12वीं योजना के दौरान **88,537** मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में झारखंड को पूर्वी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से **294** मेगावाट का तथा निजी क्षेत्र में **1,080** मेगावाट का आवंटन शामिल है ।
2. झारखंड में पारेषण बाधाओं को दूर करने के लिए चार **400** केवी पारेषण लाइनें तथा दो **400/220** केवी उपकेंद्र पूर्वी क्षेत्र की स्थायी योजना समिति में अनुमोदित किए गए हैं ।

(ग) और (घ) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सूचित किया है कि **31** मई, **2014** को कुल देय **7,702** करोड़ रुपए का था । इसमें से **31** मार्च, **2013** तक **4,370** करोड़ रुपए के इस समाशोधित देय को वित्तीय पुनःसंरचना योजना (एफआरपी) स्कीम के माध्यम से निपटाया जाना है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-55

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध की
समीक्षा

55. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार द्वारा देश के किसी भी भाग में जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक नहीं लगाई गई है । तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड बनाम अनुज जोशी एवं अन्य के मामले में 2013 की सिविल अपील संख्या 6736 में दिनांक 13.8.2013 के अपने निर्णय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा साथ ही साथ उत्तराखण्ड राज्य को निदेश दिया है कि अगले आदेशों तक, उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी जल विद्युत परियोजना को आगे कोई पर्यावरण स्वीकृति अथवा वन स्वीकृति न दी जाए ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-56

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

एनईईपीसीओ (नीपको) की क्षमता वर्धन योजना

56. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) मार्च, 2016 तक अपने विद्युत उत्पादन को 1,130 मेगावाट से बढ़ाकर 2,000 मेगावाट करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम को विद्युत आवंटन की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : नीपको, मार्च, 2017 तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को 1,130 मेगावाट से 2,057 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है । परियोजना-वार चालू किए जाने का कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	चालू करने का कार्यक्रम
हाइड्रो:			
1	कामेंग एचईपी (600 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश	मार्च, 2017
2	पारे एचईपी (110 मेगावाट)	अरुणाचल प्रदेश	सितंबर, 2015
3	तुरियल एचईपी (60 मेगावाट)	मिजोरम	दिसंबर, 2015
थर्मल:			
4	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (101 मेगावाट)	त्रिपुरा	नवंबर, 2014
5	अगरतला गैस टरबाइन पावर प्लांट सीसी एक्सटेंशन (51 मेगावाट)	त्रिपुरा	मार्च, 2015
नवीकरणीय:			
6	टीजीबीपी साइट पर ग्रिड इंटरक्टिव सोलर पावर प्लांट (5 मेगावाट)	त्रिपुरा	अक्टूबर, 2014

(ग) : केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएसएस) से असम को 727 मेगावाट का आवंटन किया जाता है । इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य को लगभग 827 मेगावाट विद्युत (केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से 727 मेगावाट और राज्य क्षेत्र से 100 मेगावाट) का लाभ होगा ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-57

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा
उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रयास किया जाना

57. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत पी एफ सी द्वारा वित्त-पोषित बड़ी, मझौली और लघु विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और
- (ग) पी एफ सी द्वारा इस क्षेत्र में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां । पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) राज्य यूटिलिटीयों और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स विद्युत परियोजनाओं के उपक्रमों अर्थात् हाइड्रो, पारेषण, शहरी वितरण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएफसी द्वारा वित्तपोषित राज्य/केंद्र सरकार और निजी विद्युत कंपनियों से इक्विटी सहभागिता वाली विद्युत परियोजनाएं अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी विद्युत कंपनियों से संपूर्ण इक्विटी वाली परियोजनाएं अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) : पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास उपयोग करने के लिए विशाल जल विद्युत की क्षमता है । नियमित ऋण वित्त-पोषण के अतिरिक्त, पीएफसी सार्वजनिक निजी साझीदारी जल विद्युत परियोजनाओं में अपनी इक्विटी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। पीएफसी अरुणाचल प्रदेश सरकार से परियोजना वित्त-पोषण, परामर्शी सेवाएं, राज्य सरकार इक्विटी इन्फ्यूजन आवश्यकताओं इत्यादि के माध्यम से राज्य में अभिज्ञात विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए पहल करने में भी लगा हुआ है।

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. राज्य/केंद्र सरकार तथा निजी विद्युत कंपनियों की इक्विटी प्रतिभागिता वाली परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम	यूटिलिटी/विकासकर्ता	परियोजना क्षमता	पीएफसी की स्वीकृति (रु. करोड़ में)	ऋण का प्रकार
1	पानन हाइड्रो प्रोजेक्ट	हिमगिरी हाइड्रो इनर्जी प्रा. लि.	300 मेगावाट (4x75)	808.76	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ
2	पलाटाना सीसीजीटी प्रोजेक्ट	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि.	726.6 मेगावाट (2x363.3)	2788.77	एकमात्र

ii. निजी विद्युत कंपनियों की संपूर्ण इक्विटी वाली परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम	यूटिलिटी/विकासकर्ता	परियोजना क्षमता	पीएफसी की स्वीकृति (रु. करोड़ में)	ऋण का प्रकार
1	ताशिडिंग एचईपी	शोगा इनर्जी प्रा. लि.	97 मेगावाट	325.00	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ
2	रंगित-II एचईपी	सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर्स लि.	66 मेगावाट	198.57	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ
3	रौंगनीचू एचईपी	मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	96 मेगावाट	217.60	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ
4	रंगित-IV एचईपी	जल पावर कारपोरेशन लि.	120 मेगावाट	387.65	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ
5	जोरथांग लूप एचईपी	डांस इनर्जी	96 मेगावाट	472.80	मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में पीएफसी के साथ संघ

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-58

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

58. श्री सत्यनारायण जटिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्पादन, मांग और पूर्ति में अन्तर कितना है तथा इसकी पूर्ति की आगामी कार्य-योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) : वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मई, 2014) के दौरान विद्युत उत्पादन में लक्ष्य के संबंध में उपलब्धि 105% रही है। तथापि, राज्य यूटिलिटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मई, 2014) के दौरान देश में ऊर्जा कमी और व्यस्ततम कमी क्रमशः 4.1% और 4.9% थी ।

कमी पूरा करने के लिए भावी कार्य योजना अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (30 जून, 2014 तक) में 43,708 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है।

- (ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास ।
- (iii) जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना ।
- (v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है ।
- (vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।
- (viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण।
- (ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- (x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना ।

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(मेगावाट में)

क्षेत्र	थर्मल				न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस*	सकल योग	
	कोल	गैस	डीजल	कुल					
सार्वजनिक	राज्य	54428.00	6974.42	602.61	62005.03	0.00	27482.00	3803.67	93290.70
	केंद्रीय	45925.01	7065.53	0.00	52990.54	4780.00	10485.41	**	68255.94
निजी		47215.38	8568.00	597.14	56380.52	0.00	2694.00	27888.47	86962.99
कुल		147568.39	22607.95	1199.75	171376.09	4780.00	40661.41	31692.14	248509.63

* नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) में एसएचपी, बीपी, यू एण्ड आई, सौर और पवन ऊर्जा सम्मिलित है। 31.03.2014 के अनुसार, आरईएस संस्थापित क्षमता को दर्शाया गया है।

** राज्य क्षेत्र में सभी सार्वजनिक क्षेत्र आरईएस विद्युत उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-59

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

गांवों के लिए विद्युत आपूर्ति में तेजी लाना

59. श्री डी. पी. त्रिपाठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक गांव के लिए बिजली की आपूर्ति के कार्य में तेजी लाने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में गांवों के पास विद्युतीकरण के लिए मूलभूत अवसंरचना जैसे कि खंभे और तार नहीं हैं; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण के सृजन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की है जिसमें ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने की योजना है। दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान, देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 1.12 लाख गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 648 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

भारत सरकार ने बारहवीं योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए 273 परियोजनाओं को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने और स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय और आरईसी, आरजीजीवीवाई स्कीम के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी भी कार्यान्वयन संबंधी मामलों के समाधान के लिए पीएसयू, एसईबी (राज्य विद्युत बोर्ड)/डिस्कॉमों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यबल का भी गठन किया गया है जो कार्यक्रम के सभी पहलुओं की निगरानी करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-60

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति

60. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय पूल से और कुछ राज्यों द्वारा केन्द्र को लौटाई गई बिजली के कोटे में से तमिलनाडु द्वारा बिजली की जितनी मांग की गई है उतनी मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि दक्षिणी ग्रीड और अन्य प्रदेशों के ग्रीडों के बीच विद्युत ग्रीड संयोजन (कनेक्टिविटी) तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत पारेषण को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत ग्रीड संयोजन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) से विद्युत की उपलब्धता के अनुसार, तमिलनाडु को 4,097 मेगावाट विद्युत दी गई है (3,749 मेगावाट निर्धारित और 348 मेगावाट गैर-आबंटित)। दक्षिणी क्षेत्र में सभी राज्यों में यह सबसे बड़ा आबंटन है।

समय-समय पर राज्य की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के पूल से तमिलनाडु को 348 मेगावाट का गैर-आबंटित हिस्सा आबंटित किया गया है। इसमें क्षेत्रीय पूल का 25.9% बनता है जो दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक है। तमिलनाडु को किसी भी अतिरिक्त आबंटन से दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्य जो विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, के आबंटन में भी कमी आएगी।

(ख) और (ग): यद्यपि उत्तरी-पूर्वी-पश्चिमी (एनईडब्ल्यू) ग्रीड से दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) को विद्युत के हस्तांतरण में बाधाएं हैं, तथापि तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच पावर ग्रीड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ ये कदम हैं :

- i. 765 केवी सिंगल सर्किट की दो अत्यधिक उच्च क्षमता वाली रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइनें।
- ii. 765 केवी डबल सर्किट की एक नरेन्द्र-कोल्हापुर लाइन, 765 केवी डबल सर्किट की एक अंगुल-श्रीकाकुलम-वेमागिरी लाइन और एनईडब्ल्यू और एसआर ग्रीड के बीच 765 केवी डबल सर्किट की एक वर्धा-निजामाबाद-हैदराबाद लाइन।
- iii. रायचूर-शोलापुर कॉरीडोर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की अतिरिक्त 765 केवी और 400 केवी पारेषण लाइनें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-61

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

अरुणाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

61. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अरुणाचल प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए की 3000 मेगावाट वाली दिबांग जल विद्युत परियोजना में यह विचार करते हुए तेजी लाई जा रही है कि इससे पूर्वोत्तर के अवसंरचनात्मक और सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान मिलेगा;
- (ख) क्या राज्य में एनएचपीसी की लोवर सुबनसीरी नामक एक अन्य जल विद्युत परियोजना पर 6,500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के बावजूद अभी भी मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है;
- (ग) क्या लोवर सुबानसीरी जल विद्युत परियोजना के मामले में विलंब के कारण इस परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनएचपीसी लि. की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना (3,000 मेगावाट) से पूर्वोत्तर के अवसंरचनात्मक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान मिलेगा तथा सरकार ने परियोजना की पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों पर तीव्रता से विचार किया है ।

(ख) से (घ) : एनएचपीसी की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) को सांविधिक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं । असम के स्थानीय दबाव समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण 16.12.2011 से कार्य एकदम रुका हुआ है ।

इससे लागत में बढ़ोत्तरी हुई तथा परियोजना के पूरा होने की तिथि पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-62

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

नागालैण्ड में गांवों का विद्युतीकरण

62. श्री खेकिहो झिमोमी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागालैण्ड में उन गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है;

(ख) राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस राज्य में गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नागालैण्ड में, दिनांक 31.05.2014 के अनुसार राज्य में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले 13 गैर-विद्युतीकृत गांव और 59 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव हैं। जिले-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, नागालैण्ड राज्य में विगत पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान बयानवे (92) गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ग) : नागालैण्ड राज्य में गांवों के विद्युतीकरण के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नागालैण्ड राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों और आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की जिले-वार कवरेज और उपलब्धि।					
31.05.2014 की स्थिति के अनुसार					
क्रम सं.	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव	
		कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
Xवीं योजना					
1	फेक	0	0	104	102
2	जुन्हेबोटो	12	3	175	125
	कुल (Xवीं योजना)	12	3	279	227
XIवीं योजना					
1	दीमापुर	18	17	198	198
2	कोहिमा	0	0	94	94
3	किफायर	6	6	85	85
4	लॉगलैंग	6	6	29	29
5	मोकेकचुंग	0	0	102	102
6	मोन	14	14	96	96
7	पेरेन	16	16	70	70
8	ट्यूनसांग	0	0	122	115
9	वोखा	33	30	94	94
	कुल (XIवीं योजना)	93	89	890	883
	सकल योग (Xवीं + XIवीं योजना)	105	92	1169	1110

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-63

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की कटौती

63. श्री राजकुमार धूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हुई थी जिसके कारण उस समय बिजली की लंबे समय तक कटौती और लोड शेडिंग हुई थी जब पारा उच्चतम स्तर पर था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिनांक 30 मई, 2014 को प्रचण्ड धूल भरे तूफान के कारण दिल्ली गवर्नमेंट ट्रांसमिशन कंपनी डीटीएल से संबंधित तीन पारेषण लाइनें अर्थात् 220 केवी बवाना-रोहिणी, 220 केवी मण्डोला-गोपालपुर और 220 केवी बमनौली-पनकलन-1 से संबंधित 10 ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त हो जाने के कारण दिल्ली में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

(ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में दिनांक 30 मई, 2014 को प्रचण्ड धूल भरे तूफान के कारण विद्युत नेटवर्क के अवरोध के बाद लाइनों को पुनः चालू करने का कार्य पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सहायता से युद्ध स्तर पर किया गया था और अस्पतालों, दिल्ली मेट्रो, जल शोधन संयंत्रों और एनडीएमसी क्षेत्रों जैसी अनिवार्य सेवाओं के लिए बिजली दोबारा शुरू करने में दिल्ली सरकार की सहायता करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्षतिग्रस्त टावरों/220 केवी लाइनों को पीजीसीआईएल द्वारा प्रदान किए गए इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम (ईआरएस) के माध्यम से तत्काल पुनः चालू किया गया था। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त टावरों को स्थायी रूप से पुनः लगाने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया था और प्रभावित लाइनों को दिनांक 23 जून, 2014 तक प्रगामी रूप से सामान्य कर दिया गया था अन्यथा जिसे सामान्य करने में कई सप्ताह लगते।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-64

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

64. श्री राजकुमार धूत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क): क्या यह सच है कि हाल ही में विद्युत संयंत्रों में कोयले की अत्यधिक कमी हो गई थी जिसके कारण देश में संभवतः विद्युत की भारी कमी हो गई थी;
- (ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग): सरकार ने इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय शुरू किए थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत संयंत्रों को भविष्य में कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): देश में कोयले की समग्र कमी है । तथापि, कोयला आपूर्ति की समस्याओं का समाधान सूक्ष्म प्रबोधन द्वारा किया जाता है ताकि कोयले की कमी की स्थिति बदतर न हो ।

(ग): कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) कोल इंडिया लिमिटेड से देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा गया है ।
- (ii) विद्युत यूटिलिटीयों को, जहां कहीं आवश्यक हो, आयातित कोयले का उपयोग करने की सलाह दी गई है ।
- (iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सूक्ष्मता से कोयले की उपलब्धता की निगरानी कर रहा है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-65

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

घाटे में चल रही डिसकॉम और अन्य विद्युत
कंपनियों को सशक्त बनाना

65. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुच्चु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में घाटे में चल रही विद्युत कंपनियों और डिसकॉम के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा डिसकॉम और विद्युत कंपनियों की लाभप्रदता के लिए इन्हें सशक्त बनाए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस कार्य-योजना पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विश्व बैंक ने "मोर पावर टू इंडिया : दि चैलेंज ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन" नामक एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत विद्युत की पहुँच एवं वहनीयता, यूटिलिटियों का वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन और गवर्नेंस, निजी भागीदारी का अनुभव, पूरे देश में सुधारों का कार्यान्वयन और वितरण निष्पादन में सुधार को फोकस किया गया है।

रिपोर्ट में निम्नांकित मुद्दों को उठाया गया है:

- विद्युत अधिनियम के प्रमुख अधिदेशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा और वितरण (प्रशुल्क, खुली पहुँच और निष्पादन मानक) के क्षेत्र में।
- विनियामक स्वायत्ता प्रभावशीलता और उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करना।
- आंतरिक प्रचालनों में हस्तक्षेप को रोकने के लिए यूटिलिटियों को राज्य सरकारों से पृथक करना।
- प्रचालनात्मक और वित्तीय कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कार्यक्रमों और अन्य सहायता का प्रयोग करना।
- भारत के आकार और विविधता का बेहतर प्रयोग करने के लिए तथा सेवा प्रावधान के विभिन्न मॉडलों से सीखना।
- विद्युतीकरण को वित्तीय जिम्मेवारी के साथ प्रोत्साहित करना और विविध सुपुर्दगी मॉडलों को सहायता प्रदान करना।
- लक्ष्य में सुधार लाने और वित्तीय भार को कम करने के लिए घरेलू प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-66

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत संयंत्रों को सस्ता कोयला

66. डॉ. अनिल कुमार साहनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बिहार के विद्युत संयंत्रों को सस्ती दर पर कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान विद्युत स्टेशन अर्थात बरौनी टीपीएस (210 मेगावाट) और मुज्जफरपुर टीपीएस (220 मेगावाट) है, जो कि बिहार को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं, उनका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ पहले से ही लिंकेज है। इसके अतिरिक्त, मुज्जफरपुर विस्तार (390 मेगावाट) का कोल लिंकेज सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ है। साथ ही उरमा पहारीतोला कोयला ब्लॉक का आबंटन बरौनी एक्सटेंशन टीपीएस (500 मेगावाट) को किया गया है और देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक का आबंटन बक्सर टीपीएस (1320 मेगावाट) को किया गया है।

कैप्टिव कोयला ब्लॉक से कोयला सबसे सस्ते उपलब्ध विकल्पों में से एक है और विद्युत यूटिलिटीयाँ अपने वर्तमान विद्युत संयंत्रों को भी अधिशेष सस्ता कोयला दे सकती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-67

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

67. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत की मांग बढ़ रही है जिसके कारण देश में इसकी भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तेलंगाना सहित देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाये जा रहे या उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां । देश में विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है । तथापि, विद्युत कमी में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी के कारण पिछले वर्ष 2013-14 में कमी आई है ।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति वर्ष-वार और राज्य-वार अनुबंध-1 में दी गई है । तेलंगाना का ब्यौरा आंध्र प्रदेश के ब्यौरे में शामिल है क्योंकि तेलंगाना हाल ही में 2 जून, 2014 को अस्तित्व में आया है ।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है ।

(घ) : देश में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि करके विद्युत स्थिति में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं -

- (i) 12वीं योजना के दौरान, 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (30 जून, 2014 तक) में 43,708 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है।
- (ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास ।
- (iii) जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना ।
- (v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है ।
- (vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।
- (viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण।
- (ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- (x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना ।

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2011- मार्च, 2012				अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू व कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	276,121	258,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	3,239	3,093	-146	-4.5
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	10,951	10,759	-192	-1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	9,151	8,505	-646	-7.1
महाराष्ट्र	141,382	117,722	-23,660	-16.7	21,069	16,417	-4,652	-22.1
दमन एवं दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	301	276	-25	-8.3
दादर नागर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	615	605	-10	-1.6
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	527	471	-56	-10.6
पश्चिमी क्षेत्र	290,421	257,403	-33,018	-11.4	42,352	36,509	-5,843	-13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	14,054	11,972	-2,082	-14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	10,545	8,549	-1,996	-18.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	3,516	3,337	-179	-5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	12,813	10,566	-2,247	-17.5
पुडुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	335	320	-15	-4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	260,302	237,480	-22,822	-8.8	37,599	32,188	-5,411	-14.4
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	2,031	1,738	-293	-14.4
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	2,318	2,074	-244	-10.5
झारखंड	6,280	6,030	-250	-4.0	1,030	868	-162	-15.7
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	3,589	3,526	-63	-1.8
प. बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	6,592	6,532	-60	-0.9
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	100	95	-5	-5.0
अंडमान - निकोबार	244	204	-40	-16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	14,707	13,999	-708	-4.8
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारतीय	937,199	857,886	-79,313	-8.5	130,006	116,191	-13,815	-10.6

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं होती है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012- मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (एमयू)	
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू व कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	300,774	273,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	49,226	44,272	-4,954	-10.1	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	123,984	119,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	293,918	284,126	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	281,842	238,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
प. बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान - निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	107,457	102,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	995,557	908,652	-86,905	-8.7	135,453	123,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं होती है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति								
राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013- मार्च, 2014				अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	309,463	290,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	126,288	123,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन एवं दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादर नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	294,659	291,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	277,245	258,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
प. बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान - निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	108,203	106,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारतीय	1,002,257	959,829	-42,428	-4.2	135,918	129,815	-6,103	-4.5
# लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं होती है।								
टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।								

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014- मई, 2014				अप्रैल, 2014 - मई, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	262	262	0	0	259	259	0	0
दिल्ली	4,923	4,891	-32	-0.7	5,358	5,338	-20	-0.4
हरियाणा	6,650	6,610	-40	-0.6	6,749	6,749	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,467	1,450	-17	-1.2	1,316	1,295	-21	-1.6
जम्मू व कश्मीर	2,720	2,177	-543	-20.0	2,422	1,938	-484	-20.0
पंजाब	6,733	6,703	-30	-0.4	6,910	6,910	0	0.0
राजस्थान	9,850	9,811	-39	-0.4	8,844	8,727	-117	-1.3
उत्तर प्रदेश	17,611	15,410	-2,201	-12.5	15,506	11,821	-3,685	-23.8
उत्तराखंड	2,016	1,980	-36	-1.8	1,791	1,716	-75	-4.2
उत्तरी क्षेत्र	52,232	49,294	-2,938	-5.6	41,803	39,598	-2,205	-5.3
छत्तीसगढ़	3,709	3,678	-31	-0.8	3,450	3,350	-100	-2.9
गुजरात	17,042	17,041	-1	0.0	13,499	13,499	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,229	8,201	-28	-0.3	7,388	7,033	-355	-4.8
महाराष्ट्र	24,299	23,693	-606	-2.5	19,749	18,585	-1,164	-5.9
दमन एवं दीव	371	371	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	918	918	0	0.0	646	646	0	0.0
गोवा	798	796	-2	-0.3	489	489	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	55,366	54,698	-668	-1.2	43,170	42,365	-805	-1.9
आंध्र प्रदेश	17,067	15,407	-1,660	-9.7	13,773	12,446	-1,327	-9.6
कर्नाटक	11,377	10,649	-728	-6.4	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	3,901	3,847	-54	-1.4	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	16,997	16,043	-954	-5.6	13,486	12,671	-815	-6.0
पुडुचेरी	428	427	-1	-0.2	363	348	-15	-4.1
लक्षद्वीप	8	8	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	49,770	46,373	-3,397	-6.8	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	2,807	2,743	-64	-2.3	2,560	2,410	-150	-5.9
डीवीसी	3,029	3,005	-24	-0.8	2,610	2,590	-20	-0.8
झारखंड	1,358	1,346	-12	-0.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	4,712	4,624	-88	-1.9	3,814	3,764	-50	-1.3
प. बंगाल	8,440	8,382	-58	-0.7	7,340	7,300	-40	-0.5
सिक्किम	65	65	0	0.0	80	80	0	0.0
अंडमान - निकोबार	40	30	-10	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	20,411	20,165	-246	-1.2	16,548	16,309	-239	-1.4
अरुणाचल प्रदेश	95	90	-5	-5.3	115	111	-4	-3.5
असम	1,285	1,179	-106	-8.2	1,343	1,230	-113	-8.4
मणिपुर	97	92	-5	-5.2	115	112	-3	-2.6
मेघालय	264	228	-36	-13.6	299	296	-3	-1.0
मिजोरम	67	63	-4	-6.0	77	76	-1	-1.3
नागालैंड	96	92	-4	-4.2	105	104	-1	-1.0
त्रिपुरा	184	174	-10	-5.4	246	246	0	0.0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2,088	1,918	-170	-8.1	2,197	2,045	-152	-6.9
अखिल भारतीय	179,867	172,448	-7,419	-4.1	141,886	134,972	-6,914	-4.9

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं होती है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्रोत-वार वास्तविक उत्पादन

स्रोत	31.05.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)			
		2014-15 (मई, 14 तक)*	2013-14	2012-13	2011-12
हाइड्रो	40635.74	21887.56	140445.44	118514.79	135794.03
न्यूक्लियर	4780	5559.06	34227.79	32866.11	32286.56
थर्मल	169547.92	149367.19	792477.11	760675.8	708805.94
सकल योग	214963.66	176813.81	967150.34	912056.7	876886.53

टिप्पणी :-

* वास्तविक सह अकलन के आधार पर अनंतिम

1. परम्परागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से उत्पादन की केवल सीईए निगरानी करता है।
2. 25 मेगावाट तक के केंद्रों से उत्पादन की 01.04.2010 से निगरानी नहीं की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-68

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की निगरानी

68. श्री बैष्णव परिडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्युत क्षेत्र में देश की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का समन्वयन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह निर्बाध रूप से कार्य करे, एक विशेष निगरानी तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका उद्देश्य देश में विद्युत उत्पादन में तेजी लाना है; और

(घ) देश में छोटे गांवों सहित सभी घरों को वर्ष 2015 तक बिजली उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, देश में विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन किए जाने के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:

(i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रबोधन:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति का प्रबोधन कर रहा है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण स्थल का बार-बार दौरा करके तथा विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्तालाप

करके प्रगति का प्रबोधन करता है। सीईए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है तथा क्रिटिकल मुद्दों को उठाया जाता है।

- (ii) विद्युत परियोजना प्रबोधन पैनल (पीपीएमपी) द्वारा प्रबोधन
12वीं योजना के दौरान तथा इसके पश्चात्, संबद्ध पारेषण लाइनों के साथ चालू किए जाने के लिए लक्षित ताप एवं जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के प्रबोधन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना प्रबोधन पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।
- (iii) बाधाओं का पता लगाने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मामलों का तीव्र समाधान किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।

(घ) : सभी घरों को विद्युत वितरण किए जाने का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है तथा अपने प्रचालन क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति प्रदान करना वितरण लाइसेंसियों की जिम्मेवारी है। तथापि, उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने देश में सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की थी तथा स्कीम को 12वीं एवं 13वीं योजना में जारी रखे जाने का अनुमोदन भी किया जा चुका है। स्कीम के अंतर्गत, 31.05.2014 तक लगभग 2.18 करोड़ बी.पी.एल. घरों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-69

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

पहाड़ी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं

69. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं;
- (ख) यदि हां, तो इन राज्यों में ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है;
- (ग) क्या कई ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्वतों में कई किलोमीटर तक सुरंग खोदी गई हैं, नदियों की दिशा बदली गई है और कृत्रिम झील बनाई गई हैं और पर्वतों को आपदाओं के लिए असुरक्षित बना दिया गया है; और
- (घ) उत्तरी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है और क्या पर्यावरणीय मंजूरी ली गई थी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 1978-87 के दौरान सीईए द्वारा किए गए पुनः मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की जल विद्युत संभाव्यता क्रमशः 18540 मेगावाट और 17998 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता (आईसी) वाली स्कीमें) अभिचिन्हित की गई थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में प्रचालनाधीन और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

हिमाचल प्रदेश

		क्षमता (मेगावाट)
प्रमुख/मध्यम स्कीमों से पुनः मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिचिन्हित जल विद्युत संभाव्यता (25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली स्कीमें)		18540
I	प्रचालनरत क्षमता : 21 एचईपी	8370.67
II	निर्माणाधीन क्षमता : 14 एचईपी	3153.33

.....जारी/-

उत्तराखण्ड

		क्षमता (मेगावाट)
प्रमुख/मध्यम स्कीमों से पुनः मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिचिन्हित जल विद्युत संभाव्यता (25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली स्कीमों)		17998
I	प्रचालनरत क्षमता : 15 एचईपी	3426.4
II	निर्माणाधीन क्षमता : 6 एचईपी	1640

(ग) और (घ) : जल विद्युत परियोजनाएं विशिष्ट स्थल होती हैं और किसी जल विद्युत परियोजना की विशिष्टताएं जैसे बांध, सुरंग, भण्डारण विस्तृत सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के आधार पर निर्णित किए जाते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश जल विद्युत परियोजनाओं में डैम/बैराज और सुरंगों/नहरों और विद्युत गृह का निर्माण शामिल होता है। सुरंग की लम्बाई और जलाशयों की क्षमता परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न होती हैं। जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतों को किसी भी आपदा के लिए अति संवेदनशील नहीं बनाती हैं।

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। सभी जल विद्युत परियोजनाएं विकासकर्ताओं द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन किए जाते हैं, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। राज्य/केंद्र सरकार से पर्यावरण एवं अन्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना का निर्माण किया जाता है। उत्तरी क्षेत्र में, सभी निर्मित/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-70

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

अपर्याप्त कोयला आपूर्ति के कारण विद्युत की
कमी

70. श्री हुसैन दलवाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई राज्य विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त कोयला आपूर्ति के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो बिजली की कमी का राज्यवार परिमाण क्या है; और
- (ग) सरकार इस समस्या को कैसे हल करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ । कोयले की कमी के कारण राज्यों द्वारा सामना की जा रही विद्युत की कमी वर्ष 2014-15 (अप्रैल से मई, 2014) के दौरान 120 मिलियन यूनिट (एमयूएस) की उत्पादन हानि की सीमा तक है । विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है ।

(ग) : इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- (i) कोल इंडिया लिमिटेड से देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा गया है ।
- (ii) विद्युत यूटिलिटीयों को, जहां कहीं आवश्यक हो, आयातित कोयले का उपयोग करने की सलाह दी गई है ।
- (iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सूक्ष्मता से कोयले की उपलब्धता की निगरानी कर रहा है ।

राज्य सभा में दिनांक 07.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 70 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अंतिम)								
राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014- मई, 2014				अप्रैल, 2014 - मई, 2014			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	262	262	0	0	259	259	0	0
दिल्ली	4,923	4,891	-32	-0.7	5,358	5,338	-20	-0.4
हरियाणा	6,650	6,610	-40	-0.6	6,749	6,749	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,467	1,450	-17	-1.2	1,316	1,295	-21	-1.6
जम्मू व कश्मीर	2,720	2,177	-543	-20.0	2,422	1,938	-484	-20.0
पंजाब	6,733	6,703	-30	-0.4	6,910	6,910	0	0.0
राजस्थान	9,850	9,811	-39	-0.4	8,844	8,727	-117	-1.3
उत्तर प्रदेश	17,611	15,410	-2,201	-12.5	15,506	11,821	-3,685	-23.8
उत्तराखंड	2,016	1,980	-36	-1.8	1,791	1,716	-75	-4.2
उत्तरी क्षेत्र	52,232	49,294	-2,938	-5.6	41,803	39,598	-2,205	-5.3
छत्तीसगढ़	3,709	3,678	-31	-0.8	3,450	3,350	-100	-2.9
गुजरात	17,042	17,041	-1	0.0	13,499	13,499	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,229	8,201	-28	-0.3	7,388	7,033	-355	-4.8
महाराष्ट्र	24,299	23,693	-606	-2.5	19,749	18,585	-1,164	-5.9
दमन एवं दीव	371	371	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	918	918	0	0.0	646	646	0	0.0
गोवा	798	796	-2	-0.3	489	489	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	55,366	54,698	-668	-1.2	43,170	42,365	-805	-1.9
आंध्र प्रदेश	17,067	15,407	-1,660	-9.7	13,773	12,446	-1,327	-9.6
कर्नाटक	11,377	10,649	-728	-6.4	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	3,901	3,847	-54	-1.4	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	16,997	16,043	-954	-5.6	13,486	12,671	-815	-6.0
पुडुचेरी	428	427	-1	-0.2	363	348	-15	-4.1
लक्षद्वीप	8	8	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	49,770	46,373	-3,397	-6.8	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	2,807	2,743	-64	-2.3	2,560	2,410	-150	-5.9
झीवसी	3,029	3,005	-24	-0.8	2,610	2,590	-20	-0.8
झारखंड	1,358	1,346	-12	-0.9	1,060	1,037	-23	-2.2
ओडिशा	4,712	4,624	-88	-1.9	3,814	3,764	-50	-1.3
प. बंगाल	8,440	8,382	-58	-0.7	7,340	7,300	-40	-0.5
सिक्किम	65	65	0	0.0	80	80	0	0.0
अंडमान - निकोबार	40	30	-10	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	20,411	20,165	-246	-1.2	16,548	16,309	-239	-1.4
अरुणाचल प्रदेश	95	90	-5	-5.3	115	111	-4	-3.5
असम	1,285	1,179	-106	-8.2	1,343	1,230	-113	-8.4
मणिपुर	97	92	-5	-5.2	115	112	-3	-2.6
मेघालय	264	228	-36	-13.6	299	296	-3	-1.0
मिजोरम	67	63	-4	-6.0	77	76	-1	-1.3
नागालैंड	96	92	-4	-4.2	105	104	-1	-1.0
त्रिपुरा	184	174	-10	-5.4	246	246	0	0.0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2,088	1,918	-170	-8.1	2,197	2,045	-152	-6.9
अखिल भारतीय	179,867	172,448	-7,419	-4.1	141,886	134,972	-6,914	-4.9

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड अलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत की आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का अंग नहीं होती है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता- दोनों निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-71

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ज्योति ग्राम
योजना का कार्यान्वयन

71. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्र को पूर्णतः विद्युतीकृत करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार की ज्योति ग्राम योजना मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश के बिजली क्षेत्र में कमजोर पारेषण और वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति एवं कार्य योजना तैयार की जा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) : पारेषण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए, पावरग्रिड 12वीं योजना के दौरान 40,000 सर्किट किलोमीटर और 1,00,000 एम.वी.ए. तक पारेषण नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के सुदृढीकरण के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रिडों का सुदृढीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप 68,050

मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता की अभिवृद्धि होगी। क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 40,650 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता वाला एकल फ्रीक्वेंसी पर प्रचालनरत अखिल भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड भी स्थापित किया गया है ।

देश में विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और राज्य यूटिलिटियों की एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरुआत की है । आरएपीडीआरपी का ध्यान परियोजना क्षेत्रों में स्थायी एटी एण्ड सी हानियों को कम करने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है । परियोजनाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में दो भागों में निष्पादित की गई हैं । स्कीम का भाग (क) बड़े शहरों (जनसंख्या: 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश: 350 एम.यू.) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं डाटा संग्रहण (स्काडा) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग (ख) परियोजना नगरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए है ।

(घ) और (ङ) : सरकार ने 12वीं योजना अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 29,800 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा है । इस लक्ष्य में पवन से 15,000 मेगावाट, सौर से 10,000 मेगावाट, लघु हाइड्रो से 2,100 मेगावाट और बायोपावर से 2,700 मेगावाट विद्युत शामिल है । 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के उन्नयन और उत्पादन के लिए 19,113 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है । नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान कर रहा है । सब्सिडी की राशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन/सब्सिडी

(क) ग्रीड-इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत कार्यक्रम:

1. पवन ऊर्जा:

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)	अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये / मेगावाट के अधीन 0.50 रुपये प्रति यूनिट
निम्नलिखित में प्रदर्शन परियोजनाएं	
विशेष श्रेणी राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड)	300 करोड़ रुपये X C ^{0.646}
• अन्य राज्य	2.50 करोड़ रुपये X C ^{0.646}
• सी: मेगावाट में परियोजना की क्षमता	^:विद्युत तक बढ़ाई गई

2. सौर विद्युत परियोजनाएं:

जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन (जेएनएनएसएम) चरण-II के अंतर्गत सोलर पीवी विद्युत परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ कुल 750 मेगावाट का बैच-I।	न्यूनतम परियोजना क्षमता 10 मेगावाट अधिकतम परियोजना क्षमता 50 मेगावाट	परियोजना लागत के 30% तक की वीजीएफ सहायता पिछली बोली प्रक्रिया के आधार पर 2.50 करोड़ रुपये / मेगावाट तक सीमित है।
--	---	--

3. लघु जल विद्युत परियोजनाएं:

राज्य क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाओं को सहायता:

श्रेणी	100 किलोवाट से अधिक और 1,000 किलोवाट तक	1 मेगावाट से अधिक-25 मेगावाट तक
विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्य	50,000 रुपये/किलोवाट	प्रथम मेगावाट के लिए 5.00 करोड़ रुपये + प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट के लिए 50 लाख रुपये / मेगावाट
अन्य राज्य	25,000 रुपये / किलोवाट	प्रथम मेगावाट के लिए 2.50 करोड़ रुपये + प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट के लिए 40 लाख रुपये / मेगावाट

निजी / सहकारी / संयुक्त क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजना को सहायता:

श्रेणी	1,000 किलोवाट तक	1 मेगावाट से अधिक-25 मेगावाट तक
विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्य	20,000 रुपये/किलोवाट	प्रथम मेगावाट के लिए 2.00 करोड़ रुपये + प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट के लिए 30 लाख रुपये / मेगावाट
अन्य राज्य	12,000 रुपये / किलोवाट	प्रथम मेगावाट के लिए 1.20 करोड़ रुपये + प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट के लिए 20 लाख रुपये / मेगावाट

4. बायोमास विद्युत परियोजना और बगासे सहउत्पादन परियोजनाएं:

निजी/संयुक्त/सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र चीनी मिलें:

	विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्य	अन्य राज्य
बायोमास विद्युत परियोजनाएं	25 लाख रुपये X (सी मेगावाट)	20 लाख रुपये X (सी मेगावाट)
बगासे सहउत्पादन	18 लाख रुपये X (सी मेगावाट)	1.5 करोड़ रुपये / परियोजना के कैप के साथ 15 लाख रुपये X (सी मेगावाट)
सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा बगासे सहउत्पादन 40 बार और उससे अधिक 60 बार और उससे अधिक 80 बार और उससे अधिक	40 लाख रुपये 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये प्रति मेगावाट अतिरिक्त विद्युत (6.0 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की अधिकतम सहायता)	40 लाख रुपये 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये प्रति मेगावाट अतिरिक्त विद्युत (6.0 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की अधिकतम सहायता)

5. वेस्ट से विद्युत

व्यर्थ पदार्थ का प्रकार	केंद्रीय वित्तीय सहायता
म्यूनिसिपल ठोस वेस्ट	2 करोड़ रुपये / मेगावाट, अधिकतम सहायता 10 करोड़/परियोजना
शहरी वेस्ट	2 करोड़ रुपये/मेगावाट, अधिकतम सहायता 5 करोड़ रुपये/परियोजना
औद्योगिक वेस्ट	0.20 करोड़ रुपये से 1.00 करोड़ रुपये तक/मेगावाट अधिकतम सहायता 5.00 करोड़ रुपये/परियोजना

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-72

जिसका उत्तर 07 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत आपूर्ति की स्थिति

72. श्री पी. भट्टाचार्य:

श्री के.सी. त्यागी:

श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत उत्पादन वांछित स्तर से बहुत कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेषकर देश के शहरी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण की प्रक्रिया में भारी कमियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किन-किन सुधारात्मक उपायों की परिकल्पना की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण राज्य में उपभोक्ताओं/क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों, जिनमें शहरी क्षेत्र शामिल हैं, की विद्युत की आपूर्ति, पारेषण और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है । भारत सरकार कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और उनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है । वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मई, 14) के दौरान देश में पारंपरिक स्रोतों से सकल विद्युत उत्पादन 168.322 बी.यू. के लक्ष्य की तुलना में 176.814 बी.यू. था, जो कि लक्ष्य का 105% है । पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित विचार किए जा रहे सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं :

- (i) 12वीं योजना के दौरान, 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, 88,537 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (30 जून, 2014 तक) में 43,708 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है।

- (ii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक क्षमता के विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रति परियोजना 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास ।
- (iii) जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना ।
- (v) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की अनुमति दी गई है ।
- (vi) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- (vii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव।
- (viii) विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण।
- (ix) क्षति कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- (x) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन के उपायों का संवर्धन करना ।
